भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3543
उत्तर देने की तारीख-10/08/2026

इंजीनियरिंग स्नातकों का प्लेसमेंट

†3543. **डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार इंजीनियरिंग पेशेवरों के रूप में स्नातक होने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है;
(ख) क्या सरकार के पास प्रत्येक वर्ष स्नातक होने के बाद नियोजन पाने वाले इंजीनियरिंग स्नातकों की संख्या से संबंधित कोई आंकड़े उपलब्ध हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा देश में सरकारी क्षेत्रों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए प्लेसमेंट के अवसर सृजित करने के लिए उठाए गए कदमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) और (ख): अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) के अनुसार, वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार नामांकित कुल छात्र अनुलग्नक-I में दिए गए हैं

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), 2025 की वार्षिक रिपोर्ट से, भारत में 'स्नातकों' के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) का अनुमान 58.8 है और 'स्नातकोत्तर और उससे अधिक' के लिए यह 63.6 है।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, 'स्नातकों' के लिए अनुमानित श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2019-20 के दौरान 50.6 से बढ़कर वर्ष 2023-24 के दौरान 57.5 हो गया है और 'स्नातकोत्तर और उससे अधिक' के लिए वर्ष 2019-20 के दौरान 59.5 से बढ़कर वर्ष 2023-24 के दौरान 62.2 हो गया है।

(ग) शिक्षा समवर्ती सूची में होने के कारण केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों की जिम्मेदारी है। छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़ाने और एनईपी 2020 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) जारी किया गया है जो शिक्षा में कौशल शिक्षा के एकीकरण को सक्षम बनाता है। यह इंटर्नशिप और परियोजनाओं के साथ-साथ कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम, मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम, क्षमता वृद्धि पाठ्यक्रम जैसे विविध डोमेन के माध्यम से ऋण संचय को भी सक्षम बनाता है। एनसीआरएफ में कौशल आधारित पाठ्यक्रमों के माध्यम से अपेक्षित कुल ऋण का अधिकतम 50 प्रतिशत संचय करने का भी प्रावधान है। इन प्रावधानों के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों को छात्रों को प्रासंगिक ज्ञान प्रदान करने में सक्षम बनाया गया है, जिससे वे उद्योग के लिए तैयार हो गए हैं।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने अन्य बातों के साथ-साथ तकनीकी संस्थाओं के छात्रों को उद्योग से संबंधित ज्ञान की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं

i. उद्योग की आवश्यकताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुरूप परिणाम-आधारित मॉडल पाठ्यक्रम का विकास और आवधिक संशोधन।

ii. राष्ट्रीय इंटर्नशिप पोर्टल के माध्यम से एआईसीटीई इंटर्नशिप नीति के तहत अनिवार्य इंटर्नशिप को बढ़ावा देना।

iii. नियोक्ताओं और छात्रों, विशेष रूप से ग्रामीण, जनजातीय और आकांक्षी जिलों में स्थित संस्थाओं के बीच समन्वय की सुविधा के लिए एआईसीटीई प्लेसमेंट पोर्टल।

iv. इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, नवाचार, उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से उद्योग-अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देना; तथा

v. संकाय विकास कार्यक्रमों, एआईसीटीई इंटर्नशिप पोर्टल, एनईएटी, स्वयम, आईडीईए लैब्स और अन्य रोजगार क्षमता बढ़ाने की पहलों के माध्यम से उभरती प्रौद्योगिकियों में क्षमता निर्माण।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 'स्नातक छात्रों के लिए इंटर्नशिप/शोध इंटर्नशिप के लिए दिशानिर्देश' जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य उनकी रोजगार क्षमता और कार्य जगत की समझ में सुधार करना है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छात्रों की नियोजनीयता में वृद्धि करने हेतु प्रशिक्षुता समर्थित डिग्री कार्यक्रम (एईडीपी) संचालित करने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं।

इसके अलावा, शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी मद्रास के सहयोग से स्वयम प्लस प्लेटफॉर्म शुरू किया है। यह मंच उद्योग भागीदारों के सहयोग से कौशल संबंधी पाठ्यक्रम संचालित करता है, जिससे शिक्षार्थियों को फिर से कौशल प्राप्त करने, कौशल बढ़ाने और रोजगार के लिए तैयार होने में मदद मिलती है। यह प्लेटफ़ॉर्म 500 से अधिक रोजगार-केंद्रित पाठ्यक्रम संचालित करता है। इन पाठ्यक्रमों

को सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, बीएफएसआई, हेल्थकेयर और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग आदि सहित 15 क्षेत्रों में 80 से अधिक उद्योग भागीदारों से क्यूरेट किया गया है। 06 लाख से अधिक शिक्षार्थियों ने अपने कौशल संवर्धन के लिए स्वयम प्लस प्लेटफॉर्म पर नामांकन किया है।

शिक्षा मंत्रालय सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने और एईडीपी, स्नातकों और डिप्लोमा धारकों के छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) कार्यान्वित करता है। वर्तमान में, प्रशिक्षु आईटी/आईटीईएस, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट और बीएफएसआई जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षुतावृत्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान में, विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एनएटीएस के तहत 17,625 प्रतिष्ठान पंजीकृत हैं। वर्ष 2025-26 में एनएटीएस के तहत 5 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं ने नामांकन कराया और इसे पूरा किया। एनएटीएस के हाल ही में तीसरे पक्ष के मूल्यांकन में कहा गया है कि 74% प्रशिक्षु प्रशिक्षुता के बाद रोजगार में लगे हुए हैं।

केंद्रीय बजट वर्ष 2026-27 में एसटीईएम संस्थाओं/पाठ्यक्रमों में लड़कियों के नामांकन को प्रोत्साहित करने हेतु व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण /पूंजीगत सहायता के माध्यम से प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक गलियारों के आसपास 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप और हर जिले में 1 बालिका छात्रावास स्थापित करने की घोषणा की गई है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल का संचालन करता है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से निजी और सरकारी क्षेत्रों से नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन नौकरी मेलों की जानकारी, नौकरी की खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर संबंधी सेवाएं प्रदायगी करने हेतु वन-स्टॉप समाधान है।

अनुलग्नक-I

"इंजीनियरिंग स्नातकों का प्लेसमेंट" के संबंध में माननीय संसद सदस्य डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद द्वारा पूछे गए दिनांक 10.08.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3543 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

एआईएसएचई के अनुसार इंजीनियरिंग छात्रों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार नामांकन

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	237	852	658	658	375
आंध्र प्रदेश	5,66,420	5,81,830	6,20,613	6,22,155	6,56,550
अरुणाचल प्रदेश	3,213	3,475	4,035	3,972	3,862
असम	31,074	34,959	34,974	41,479	42,458
बिहार	61,502	70,904	79,610	85,478	95,393
चंडीगढ़	9,652	10,331	9,440	8,840	8,890
छत्तीसगढ़	47,734	47,637	47,159	45,883	45,227
दिल्ली	52,096	71,108	73,497	77,900	78,748
गोवा	8,517	10,843	15,828	14,656	13,251
गुजरात	2,60,916	2,77,009	2,82,509	2,77,224	2,85,331
हरियाणा	1,05,294	1,13,725	1,12,950	1,20,481	1,27,938
हिमाचल प्रदेश	25,490	24,783	26,684	27,379	30,035
जम्मू और कश्मीर	21,762	26,656	22,727	21,980	22,310
झारखंड	53,492	51,977	58,600	61,913	69,175
कर्नाटक	4,51,426	4,74,682	4,83,907	5,07,915	5,52,852
केरल	1,75,298	1,94,367	1,98,113	1,99,454	2,07,432
लद्दाख	133	204	224	313	337
लक्षद्वीप				63	69
मध्य प्रदेश	1,88,865	2,46,591	2,71,164	2,84,957	3,01,610
महाराष्ट्र	6,48,967	7,38,296	7,97,233	8,06,537	8,11,233
मणिपुर	3,246	3,399	3,367	3,689	3,896
मेघालय	2,719	3,356	2,931	3,264	3,533
मिजोरम	1,220	1,569	1,731	1,601	1,597
नागालैंड	1,268	1,941	1,946	2,060	2,106
ओडिशा	2,13,795	2,22,391	2,37,748	2,56,514	2,77,315
पुडुचेरी	14,530	16,462	17,232	17,199	18,288
पंजाब	1,46,959	1,38,075	1,33,590	1,37,067	1,36,407
राजस्थान	1,32,281	1,38,681	1,35,951	1,27,768	1,37,144

सिक्किम	3,648	3,972	4,392	4,282	4,605
तमिलनाडु	9,77,079	9,18,173	9,24,613	9,51,746	10,45,015
तेलंगाना	3,57,219	3,98,441	4,35,388	4,33,073	4,69,063
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	2,130	2,277	3,044	2,920	3,117
त्रिपुरा	8,096	8,881	9,175	9,740	10,098
उत्तर प्रदेश	3,64,071	3,86,195	3,99,635	4,15,689	4,40,097
उत्तराखंड	59,331	63,449	63,409	65,878	71,891
पश्चिम बंगाल	2,21,811	2,16,979	2,23,354	2,31,712	2,40,103
अखिल भारतीय	**52,21,491**	**55,04,470**	**57,37,431**	**58,73,439**	**62,17,351**

स्रोत: एआईएसएचई रिपोर्ट
